

9 सतत् विकास लक्ष्य-3

9.1 परिचय

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा के 70वें सत्र (सितंबर 2015) ने 'ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' नामक प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 संबंधित उप-लक्ष्य शामिल हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी-3) का उद्देश्य स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों में कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन हासिल करना भी है, जिसमें वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता और सस्ती आवश्यक दवाओं तक पहुँच शामिल है।

9.2 एसडीजी-3 लक्ष्य

एसडीजी-3 में 2030 तक प्राप्त करने के लिए 13 लक्ष्य और 32 संकेतक हैं। उनसे जुड़े लक्ष्य और संकेतक तालिका 9.1 में दर्शाये गए हैं।

तालिका 9.1: एसडीजी-3 के तहत स्वास्थ्य संकेतकों और लक्ष्यों का विवरण

क्र.सं.	लक्ष्य	2030 तक प्राप्त किया जाना है
1	मातृ मृत्यु अनुपात	प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम।
2	नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की रोकने योग्य मृत्यु	नवजात शिशु मृत्यु दर को कम से कम 12 प्रति 1,000 जीवित जन्म तक और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 25 प्रति 1,000 जीवित जन्म तक घटाना।
3	संक्रामक रोगों से लड़ना	एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना और हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संक्रामक रोगों का प्रतिरोध करना।
4	गैर-संक्रामक रोगों से मृत्यु दर में कमी सुनिश्चित करना और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना	रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली असामयिक मृत्यु दर को एक तिहाई कम करना और मानसिक स्वास्थ्य और कुशलता को बढ़ावा देना।
5	मादक द्रव्यों के सेवन को रोकना और इलाज करना	नशीली दवाओं के दुरुपयोग और शराब के हानिकारक उपयोग सहित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और उपचार को मजबूत करना।
6	सड़क पर होने वाली चोटों और मौतों को कम करना	2020 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करना।

क्र.सं.	लक्ष्य	2030 तक प्राप्त किया जाना है
7	यौन और प्रजनन देखभाल, परिवार नियोजन और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना	परिवार नियोजन, सूचना और शिक्षा और राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य के एकीकरण सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।
8	सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन प्राप्त करना	सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन प्राप्त करना, जिसमें वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और सभी के लिए सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता और सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुँच शामिल है।
9	खतरनाक रसायनों और प्रदूषण से होने वाली बीमारियों और मौतों को कम करना	खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या को काफी हद तक कम करना।
10	तम्बाकू नियंत्रण	सभी देशों में, जैसा उचित हो, तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यान्वयन को मजबूत करना।
11	टीकों और दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना	संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों के लिए टीकों और दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना जो मुख्य रूप से विकासशील देशों को प्रभावित करते हैं, सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुँच प्रदान करना।
12	स्वास्थ्य वित्तपोषण और भर्ती में पर्याप्त वृद्धि करना	विकासशील देशों में स्वास्थ्य वित्तपोषण और स्वास्थ्य कार्यबल की भर्ती, विकास, प्रशिक्षण और प्रतिधारण में पर्याप्त वृद्धि करना।
13	सभी देशों की क्षमता को मजबूत करना	राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों की प्रारंभिक चेतावनी, जोखिम में कमी और प्रबंधन के लिए सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत करना।

9.3 स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति

नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार, झारखण्ड, एसडीजी-3 में, राज्यों में 11वें स्थान पर है।

राष्ट्रीय औसत की तुलना में झारखण्ड के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति तालिका 9.2 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 9.2: स्वास्थ्य संकेतक, एसडीजी-3 के अनुसार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	स्वास्थ्य संकेतक	2030 के लिए एसडीजी-3 के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि	
			झारखण्ड (2020-21)	भारत (2020-21)
1	मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति 1,00,000 जीवित जन्म)	70	71	113
2	5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर (U5MR) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	25	34	36
3	9-11 माह के आयु वर्ग में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशतता	100	94	91
4	तपेदिक के कुल मामले की अधिसूचना दर (प्रति लाख जनसंख्या)	242	146	177

क्र.सं.	स्वास्थ्य संकेतक	2030 के लिए एसडीजी-3 के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि	
			झारखण्ड (2020-21)	भारत (2020-21)
5	प्रति हजार असंक्रमित जनसंख्या पर एचआईवी की घटना	0	0.04	0.05
6	आत्महत्या दर (प्रति लाख जनसंख्या)	3.5	4.4	10.4
7	2020 तक सड़क यातायात दुर्घटना के कारण मृत्यु दर (प्रति लाख जनसंख्या)।	5.81	10.11	11.56
8	कुल प्रसव में से संस्थागत प्रसव का प्रतिशत	100	95.80	94.40
9	कुल चिकित्सक/नर्सों और दाइयां (प्रति 10,000 जनसंख्या)	45	4	37

(स्रोत: नीति आयोग रिपोर्ट 2020-21)

रंग कोड: लाल = असंतोषजनक और हरा = संतोषजनक

तालिका 9.2 से देखा जा सकता है कि नौ में से आठ संकेतकों के संबंध में राष्ट्रीय प्रदर्शन की तुलना में झारखण्ड बेहतर स्थिति में था। हालाँकि, राष्ट्रीय औसत की तुलना में चिकित्सकों/नर्सों और दाइयों की संख्या बेहद कम थी। विभाग ने तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा (मार्च 2023) कि भर्ती के लिए अध्याचना जेपीएससी को भेज दी गयी है।

9.4 संस्थागत तंत्र

एसडीजी के संबंध में राज्य में गतिविधियों की तैयारियों और कार्यान्वयन के समन्वय के लिए योजना-सह-वित्त विभाग नोडल विभाग है। इसके अलावा, प्रत्येक लक्ष्य के लिए, एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में समन्वय और गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी को संरेखित करने के लिए नोडल विभाग नामित किए गए हैं। राज्य में एसडीजी-3 के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग नोडल विभाग है।

नोडल विभाग को अन्य विभागों के परामर्श से निर्दिष्ट लक्ष्यों से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं की पहचान और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना है। नोडल विभागों को सहायता प्रदान करने और एसडीजी अनुश्रवण हेतु राज्य और जिला संकेतक ढांचे तैयार करने के लिए योजना-सह-वित्त विभाग के तहत यूनिसेफ द्वारा समर्थित एक एसडीजी इकाई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार ने एसडीजी के अनुरूप विजन डॉक्यूमेंट और तीन साल की कार्य योजना (वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21) तैयार (मार्च 2018) की थी। यह योजना 2030 के लिए राज्य के दृष्टिकोण के अनुरूप थी और इसका उद्देश्य अगले दशक में सतत् विकास में तेजी लाने के लिए नींव रखना था।

9.5 राज्य स्तरीय संचालन समिति

राज्य में एसडीजी के कार्यान्वयन के संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) का गठन किया जाना था। एसएलएससी के कार्यों में वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुमोदन/संपुष्टि; प्रगति की अर्धवार्षिक समीक्षा; जिला संकेतक फ्रेमवर्क (डीआईएफ) को अंतिम रूप देना; वार्षिक बजट प्रक्रिया के भाग के रूप में एसडीजी हासिल करने के लिए आवश्यकता-आधारित वित्तपोषण सुनिश्चित करना; और अंतर-विभागीय समन्वय और अभिसरण शामिल था। एसएलएससी को महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए टास्क फोर्स²⁸⁸ को आवश्यक पर्यवेक्षण प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समग्र लक्ष्यों और लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को चलाने के लिए, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एसएलएससी का गठन (नवंबर 2022) किया गया था। हालाँकि, नवंबर 2022 तक एसडीजी - 3 के लिए कोई टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया था। विभाग ने तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा (मार्च 2023) कि मामला प्रक्रियाधीन है।

9.6 राज्य संकेतक ढाँचा (एसआईएफ) और मानचित्रण

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार ने एस.डी.जी. लक्ष्यों की निगरानी के लिए एमओएसपीआई द्वारा विकसित राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एन.आई.एफ.) के जैसा एस.डी.जी. राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एस.आई.एफ.) के विकास के लिए मार्गदर्शिका प्रसारित किया (जुलाई 2019)।

इन मार्गदर्शिकों के अनुसार, एसडीजी लक्ष्यों को लागू करने में हुई प्रगति और उनके विरुद्ध उपलब्धियों के संबंध में राज्य, जिला और स्थानीय सरकार के स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की है। इस प्रकार, राज्य के लिए अपना स्वयं का एसआईएफ विकसित करना महत्वपूर्ण है। एक जिला संकेतक फ्रेमवर्क (डीआईएफ) भी विकसित किया जाना था। राज्य एनआईएफ को अनुकूलित कर सकता है, लेकिन इसके लिए अधिक अलग-अलग डेटा की आवश्यकता होगी, न केवल उर्ध्व (जिला से निचले स्तर तक), बल्कि अनुप्रस्थ रूप से भी (लिंग, वर्ग, सामाजिक समूह, हाशिए पर रहने वाले जनसंख्या समूह, विकलांग व्यक्ति, बुजुर्ग, बच्चे, अन्य)।

इसके अलावा, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, झारखण्ड को एमओएसपीआई द्वारा विकसित भारत में एसडीजी पर डैशबोर्ड के जैसा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को परिचालित करना है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से जिला स्तर तक, एनआईएफ के लिए डेटा को प्रदर्शित करने का प्रावधान हो।

²⁸⁸ एसडीजी कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र है। राज्य से संबंधित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को बढ़ाने के संबंध में सहायता और तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए, राज्य संचालन समिति के तहत इसका गठन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य ने सभी एसडीजी के लिए 253 संकेतकों के साथ एसआईएफ तैयार किया था, जिसमें एसडीजी-3 के लिए 32 संकेतक शामिल थे। अक्टूबर 2022 तक डीआईएफ तैयार नहीं किया गया था। राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान एसडीजी-3 के संकेतकों के साथ प्रस्तावित स्वास्थ्य योजनाओं का मानचित्रण दिखाते हुए परिणाम बजट भी तैयार किया था। हालाँकि, अक्टूबर 2022 तक मुख्यमंत्री डैश बोर्ड विकसित नहीं किया गया था। विभाग ने तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा (मार्च 2023) कि मामला प्रक्रियाधीन है।

अनुशंसा: राज्य सरकार सतत् तरीके से एसडीजी-3 हासिल करने के लिए विभागों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित कर सकती है, जिला संकेतक फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विकसित कर सकती है।

राँची
दिनांक:

(इन्दु अग्रवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

